

(2)

श्रीमद् रामचरणाय नमः
विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर
विधान

- 1- नामकरण : परिषद का नाम विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर रहेगा।
- 2- कार्यालय : इसका कार्यालय जयपुर में परिषद के अध्यक्ष/महासचिव के निवास पर रहेगा।
- 3- कार्य क्षेत्र : परिषद का कार्यक्षेत्र राजस्थान होगा।
- 4- उद्देश्य : (क) स्वामीजी श्री रामचरणजी महाराज के आदर्शों व संदेश को जन-जन तक पहुंचाना।
(ख) सदस्यों की कार्य-कुशलता में वृद्धि करना एवं सामूहिक हितों की रक्षा करना तथा व्यक्तिगत, अधिवृत्तपूर्ण एवं नियमानुकूल कठिनाईयों के निराकरण का प्रयास करना।
(ग) सदस्यों में आपसी भाव, एकता, आत्मसम्मान एवं कार्य के प्रति आस्था को बढ़ावा देना।
(घ) सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक स्तर को ऊँचा उठाना।
(ङ) सदस्यों की उचित शिकायतों एवं कष्टों को दूर करने के लिये संबन्धित अधिकारी एवं सरकार को उचित प्रतिवेदन देना व उनका निराकरण करवाना।
(च) सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के समय उसके आश्रितों की सहायता करना।
(छ) समाज के प्रत्येक बन्धु को भाई-चारे एकता के लिये प्रेरित करना।
(ज) समाज के प्रत्येक बन्धु की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं नैतिक उन्नति करना।
(झ) समाज द्वारा गठित महासभा व समाज में कार्यरत विभिन्न संगठनों को सहयोग करना।
(ञ) समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर समाज सुधार व प्रगतिशील प्रयासों को बढ़ावा देना।
(ट) परिषद राजनैतिक क्रियाकलापों से सर्वथा दूर रहते हुये राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा-साक्षरता, परिवार कल्याण, विधवा सहायता, साम्प्रदायिक सदभाव, देश की एकता अखण्डता व भाई चारा बढ़ाने के लिये कार्य करेगी।
(ठ) परिषद का राज्य स्तर पर विस्तार करना व उसके बाद भविष्य में इसे अखिल भारतीय स्तर पर गठित कर नया स्वरूप प्रदान करना।
- 5- सदस्यता : परिषद की साधारण सदस्यता हर स्त्री-पुरुष द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी जो विजयवर्गीय (वैश्य) समाज का हो और जो अपनी आजीविका के लिए केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/बोर्ड/बैंक/श्रीमा कम्पनी या बहुराष्ट्रीय कम्पनी तथा अन्य संस्थानों में नियमित नियुक्ति में नौवारा हो।
- 6- सदस्यता शुल्क : (क) परिषद का वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/- रुपये होगा। भविष्य में जिसे आमसभा की संमति से घटाया जा सकेगा। परिषद का सदस्य स्वेच्छा से भी सदस्यता शुल्क के अलावा आर्थिक सहायता कर सकेगा।
(ख) सदस्यता शुल्क अथवा अन्यथा प्रकार से प्राप्त परिषद की निधियों का उपयोग परिषद के कार्यालय संचालन, सभा, सम्मेलनों एवं इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जा सकेगा।

7- परिषद का स्वरूप एवं कार्य अवधि

- क - परिषद में अध्यक्ष का एक पद होगा जिसे नियम 5 के तहत बने सदस्यों में से बनाया जायेगा।
- ख- अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष अर्थात् होली मिलन समारोह से आगामी दो वर्ष के होली मिलन समारोह के पूर्व तक होगा।
- ग- होली मिलन समारोह में उपस्थित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को चुनाव अधिकारी बनाया जाकर उसी दिन उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष पद हेतु मतदान (यदि आवश्यक हुआ तो) कराकर ज्यादा मत प्राप्त कर्ता को अध्यक्ष घोषित किया जाकर चुनाव अधिकारी द्वारा रापथ दिलाई जावेगी।

(2)

- घ- निर्विरोध/विजयी घोषित अध्यक्ष को पन्द्रह दिन में अपनी कार्यकारिणी बिन्दु संख्या 7(ड) के अन्तर्गत घोषित करनी होगी।
- ङ- अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यकारिणी में दो उपाध्यक्ष (जिसमें से एक महिला), एक महासचिव एवं एक कोषाध्यक्ष पद के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी अपने स्व- विवेक से घोषित करेगा जिसकी संख्या 40 से अधिक नहीं होगी।
- च- परिषद की कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में विचार- विमर्श के पश्चात परिषद के सलाहकार मण्डल का गठन कर सकेगी, तथा परिषद का निर्वर्तमान अध्यक्ष, सलाहकार मण्डल का स्वतः ही सम्मानित सदस्य माना जावेगा। जिसकी संख्या बिन्दु संख्या 7(ङ) की संख्या में शामिल नहीं होगी। ये कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो सकेंगे किन्तु इन्हे बैठक के दौरान मतदान का अधिकारी नहीं होगा।

8- मुख्य संरक्षक का मनोनयन

- क- अध्यक्ष द्वारा किसी भी सेवा निवृत्त राज सेवक को परिषद के मुख्य संरक्षक हेतु मनोनयन के प्रस्ताव को आम सभा के अनुमोदन के पश्चात मनोनित किया जा सकेगा। जिसका कार्यकाल बिन्दु संख्या 7(ख) के अनुसार होगा।

9- बैठकें

- (क) अध्यक्ष की अनुमति से महासचिव द्वारा कार्यकारिणी की दो माह के अन्तर से वर्ष में 6 बैठकें आमन्त्रित की जावेगी।
- (ख) असाधारण बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- (ग) कार्यकारिणी समिति के 15 पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा लिखित मांग करने पर कार्यकारिणी की बैठक 15 दिन की अवधि में अवश्य आयोजित की जावेगी।
- (घ) कार्यकारिणी समिति की बैठक का गणपूरक, कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगा एवं निर्णय बहुमत से होंगे।
- (ङ) संविधान संशोधन भी इस प्रक्रिया से किये जा सकेंगे किन्तु परिषद की आम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (च) पक्ष विपक्ष के मत बराबर होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
- (छ) परिषद की आम सभा की बैठक अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से महासचिव द्वारा वर्ष में एक बार-होली मिलन समारोह जो कि होली के आगामी रविवार या अधिकतम 10 दिवस (रविवार) में आयोजित की जावेगी।

10- कोष :

- क- परिषद का कोष संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही उपयोग किया जावेगा।
- ख- परिषद का कोष " विजयवर्गीय (दृश्य) राज सेवक परिषद" के नाम से बैंक के खाते में रखा जावेगा।
- ग- बैंक से कोष का संचालन अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा इनमें से दो के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

11- आम सभा/कार्यकारिणी के पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्य :

आमसभा:

- क- परिषद की सर्वोच्च शक्ति आमसभा में निहित होगी।
- ख- कार्यकारिणी से प्रस्तावों पर विचार कर विधान में संशोधन करना। बर्तत उपस्थित संख्या 1/2 से अधिक होने पर कोरम तथा निर्णय बहुमत से मान्य होंगे।

कार्यकारिणी :

- क- परिषद की समस्त समितियों पर नियंत्रण रखना व उनका मार्गदर्शन करना।
- ख- परिषद की आमसभा के आदेशों की क्रियान्विति करना।
- ग- वार्षिक बजट स्वीकार करना व स्वीकृत बजट के अनुसार व्यय करना।
- घ- जहाँ अपेक्षित हो जिला शाखा व विभागीय समितियों की गठन की स्वीकृति देना तथा उसका क्षेत्र निर्धारित करना।
- ङ- कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में परिषद के सदस्यों में से सलाहकार मण्डल का गठन करना।
- च- नियम उप नियम बनाना तथा समिति व उप समिति का गठन करना।
- छ- निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करना व कानूनी सलाहकार के रूप में किसी योग्य वकील की नियुक्ति करना।

अध्यक्ष के अधिकार :

- क- कार्यकारिणी/आमसभा की बैठकों के आयोजन करने की अनुमति देना व कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करना।
 ख- आवश्यकतानुसार कभी भी कार्यकारिणी की बैठक बुला सकेगा।
 ग- परिषद की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
 घ- आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणी समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शक्तियों का उपयोग करना जो वैधानिक मानी जावेगी। किन्तु इस प्रकार के निर्णयों को कार्यकारिणी की आगामी बैठक में समुचित हेतु रखना अनिवार्य होगा।
 ङ- विवाद ग्रस्त मामलों में समान मत आने पर अपना निर्णय देना।
 च- कार्यकारिणी के 15 सदस्यों द्वारा लिखित मांग करने पर नियमित अवधि में महासचिव को बैठक बुलाने का निर्देश देना अथवा स्वयं बैठक बुलाने की कार्यवाही करना।
 छ- कार्यकारिणी की समस्त कार्यवाही की पुष्टि कर हस्ताक्षर करना।
 ज- अनुपयुक्त सदस्य को कार्यकारिणी से निष्कासन का उसे पूर्ण अधिकार होगा।
 झ- माह में एक बार आय-व्यय को देखकर केश बुक में हस्ताक्षर करेगा।
 ञ- कार्यकारिणी के समस्त कार्यों के लिये अध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

उपाध्यक्ष के अधिकार

- क- अध्यक्ष को कार्य संचालन में सहयोग देना।
 ख- अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र देने अथवा अन्य प्रकार से पद रिक्त होने पर नये चुनाव होने पर वरिष्ठतम उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य सम्पादित करेगा बर्शत निर्वाचित का कार्यकाल छः माह से अधिक न हो।
 ग- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी बैठकों की अध्यक्षता करना।

महासचिव के अधिकार/कर्तव्य :

- क- संयोजक की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार की बैठकों को बुलायेगा और उसका संचालन करेगा।
 ख- सभी प्रकार की बैठकों का कार्यवाही विवरण तैयार करना, सदस्यों को भेजना और अगली बैठक में पढ़कर कार्यकारिणी की पुष्टि प्राप्त करना।
 ग- कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव व निर्णयों को क्रियान्वित करने की कार्यवाही करेगा।
 घ- परिषद का महासचिव आमसभा का भी मंत्री होगा।
 ङ- परिषद द्वारा की गई उपलब्धियों, सदस्यों के हित में किये गये कार्य एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समाज की पत्रिकाओं व समाचार पत्रों द्वारा प्रचारित करेगा।
 च- सदस्यों को पत्र के माध्यम से प्रचार प्रसार कर परिषद का सदस्य बनाना व उनकी शिकायतें दूर करना।
 छ- बैठक, अधिवेशन व अन्य समारोह के माध्यम से संगठन की समस्त प्रकार की प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना।

कोषाध्यक्ष

- क- कोषाध्यक्ष अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेगा।
 ख- वार्षिक बजट तैयार करना और उसे कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।
 ग- कोष संबंधी समस्त प्रकार का आय-व्यय नियमानुसार दैनिक हिसाब रखना।
 घ- माह में एक दिन नियत दिन केश बुक में अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराना।
 ङ- आय-व्ययक विवरण वार्षिक रिपोर्ट के लिये प्रस्तुत करना।
 च- अधिकतम 1000-रुपये अपने पास रखेगा व इससे अधिक राशि सीधे बैंक में जमा करायेगा।

सदस्य आमसभा

- क- परिषद का प्रत्येक सदस्य सम्मानीय सदस्य समझा जावेगा।
 ख- बैठकों/अधिवेशन/सम्मेलनों में उपस्थित होकर उनमें लिये जाने वाले निर्णयों में अपना मत देना।
 ग- आमसभा के सदस्य कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों व निर्णयों की क्रियान्विति करने में पूर्ण सहयोग देना।
 घ- अपने मतों का व्यक्तिगत रूप से संयुक्त रूप से आमसभा के प्रति उत्तरदायी होगा।

12. प्रथम कार्यकारिणी

- क- विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवको की आमसभा दिनांक 14.03.04 में नियुक्त संयोजक और सह-संयोजक ही इस संविधान के तहत प्रथम कार्यकारिणी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे।
ख- प्रथम कार्यकारिणी का कार्यकाल उसके गठन के पश्चात आने वाले दूसरे होली मिलन समारोह के पूर्व तक रहेगा।

13. अविश्वास प्रस्ताव :

- क- अध्यक्ष के विरुद्ध वे ही मतदाता अविश्वास प्रस्ताव रख सकेंगे जो कि महासभा के सदस्य होंगे।
ख- अविश्वास प्रस्ताव 1/2 मतदाता के हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया जा सकेगा। निर्णय 2/3 मतों पर ही पारित होगा।

14. त्याग-पत्र

- क- अध्यक्ष पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार कर नये सदस्यों का मनोनयन कर सकेगा।
ख- अध्यक्ष का त्याग-पत्र मुख्य संरक्षक द्वारा स्वीकार किया जावेगा।

15. आडिट

- क- परिषद के लेखों का आडिट वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से करना होगा।
ख- आवश्यक होने पर अंकेंक्षण सानिधि (चार्टर्ड एकाउंटेंट) लेखाकार से कराया जा सकेगा।
ग - कोष संबन्धी रिकार्ड तैयार कराने की जिम्मेवारी कोषाध्यक्ष की होगी।
घ- आडिट रिपोर्ट को कार्यकारिणी/महासभा के समक्ष रखना होगा व इसका प्रकाशन पत्र के माध्यम से करना होगा। परिषद का सम्मेलन (दीपावली मिलन समारोह जो कि दीपावली के 15 दिवस में आयोजित किया जावेगा), के अवरसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका आदि में इसका प्रकाशन किया जावेगा।

16. अनुशासनहीनता एवं उस पर कार्यवाही

- क- प्रत्येक सदस्य को संविधान के अन्तर्गत संगठन के प्रति अनुशासनबद्ध रहना आवश्यक होगा।
ख- विधान के प्रतिकूल आचरण करने अथवा परिषद को आर्थिक या अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार का कार्य, गलत विचार, भाषण, पेमप्लेट एवं अन्य विघटनात्मक कार्य, संघीय राशि का गबन या दुरुपयोग अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है।
ग- किसी सदस्य/पदाधिकारी के अनुशासनहीनता के कारण कार्यकारिणी अथवा उसकी सदस्यता से निलम्बित/निष्काशन/पदमुक्त किया जा सकेगा।
घ- निष्काशन का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष को होगा जिसकी कार्यकारिणी से पुष्टि प्राप्त कर, प्रस्ताव को मुख्य संरक्षक के पास अनुमोदन हेतु भिजवायेगा। इस पर मुख्य संरक्षक उसको सुनवाई का मौका यदि वे देना उचित समझे तो देकर पन्द्रह दिन में अपना स्पष्टीकरण देने को कहेंगे तत्पश्चात (मुख्य संरक्षक) उसकी सदस्यता समाप्त की घोषणा करेंगे तब सदस्यता समाप्त समझी जावेगी। यदि मुख्य संरक्षक को निलम्बित सदस्य का स्पष्टीकरण संतोष जनक लगेगा तो वे उसका निलम्बन समाप्त घोषित कर देंगे और वह सदस्य अपने पूर्वानुसार पदधारित करता रहेगा।
जिस सदस्य की बाबत कार्यकारिणी की बैठक में अनुसैनिक कार्यवाही का मामला रखा जाता है और यदि वह उसमें उपस्थित है तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अपने समर्थन में बोलने का मौका उसी कार्यकारिणी की बैठक में दिया जावेगा।

17. न्यायिक क्षेत्राधिकार

- परिषद के समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा।
किसी भी सदस्य/पदाधिकारी/संरक्षक/सलाहकार/अध्यक्ष को परिषद के किसी भी कार्यकलाप को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का हक नहीं होगा। यानि परिषद के किसी भी कार्य/निर्णय को लेकर कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यदि परिषद के किसी सदस्य को कार्यकारिणी द्वारा लिये गये किसी निर्णय से शिकायत है या वह उससे सहमत नहीं तो वह इसके संबन्ध में मुख्य संरक्षक, से लिखित में इस निर्णय में परिवर्तन हेतु आग्रह कर सकेगा। मुख्य संरक्षक इसे कार्यकारिणी को पुनः विचार हेतु भिजवा सकेगा लेकिन अन्तिम निर्णय कार्यकारिणी का होगा।

शंकरा खिन्सा अतिरिक्त 1988
19 के तहत
किसी भी सदस्य को
कार्यकलाप को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का हक नहीं होगा। यानि परिषद के किसी भी कार्य/निर्णय को लेकर कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यदि परिषद के किसी सदस्य को कार्यकारिणी द्वारा लिये गये किसी निर्णय से शिकायत है या वह उससे सहमत नहीं तो वह इसके संबन्ध में मुख्य संरक्षक, से लिखित में इस निर्णय में परिवर्तन हेतु आग्रह कर सकेगा। मुख्य संरक्षक इसे कार्यकारिणी को पुनः विचार हेतु भिजवा सकेगा लेकिन अन्तिम निर्णय कार्यकारिणी का होगा।

22/11/88
शंकरा खिन्सा
जयपुर

शंकरा खिन्सा
जयपुर

शंकरा खिन्सा
जयपुर